न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी: अशोक सांगवा आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या: 33/2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के 1430)

राजस्थान सरकार जरिये हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकर चुघ पुत्र श्री जगदीश राय चुघ(विक्रेता व मालिक) मैसर्स भोला पंसारी तहसील बाजारी अनूपगढ़
2. श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री शंकर लाल कथा मैसर्स–बाबा ट्रेडर्स मैन मार्केट अनूपगढ़ प्रोप व थोक विक्रेता।
3. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री सुमेद कुमार मैसर्स–परमानन्द मनीष कुमार नई धान मंडी नजदीक पीएनबी बैंक सादुलशहर प्रोप व थोक विक्रेता।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(II), 51 FSSA Act 2006

:-निर्णय:- दिनांक:-18.07.2025

यह इस्तगासा **श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(II) व **धारा 51**, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 05.03.2022 को समय दोपहर **11:30 बजे** पर निरीक्षणार्थ **मैसर्स– भोला पंसारी तहसील बाजारी अनूपगढ़** पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर **श्री शंकर चुघ पुत्र श्री जगदीश राय चुघ(विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **घी (पंजाब फ्रेंश ब्राण्ड)** के बारे जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर**घी (पंजाब फ्रेंश ब्राण्ड)** के 500 एमएल गत्ता पैक 42 डिब्बे आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाचं वास्ते **घी (पंजाब फ्रेंश ब्राण्ड)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नं.-5 ए भरकर देते हुए वयक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **घी (पंजाब फ्रेंश ब्राण्ड)** 500 एमएल के 4 मूल गत्ता पैक डिब्बों को विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा घी का नगद भुगतान **580/**–रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है व तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर भी है।

आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **शंकर चुघ पुत्र जगदीश राय चुघ** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म सं 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री शंकर चुघ पुत्र जगदीश राय चुघ** खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (पंजाब फ्रेंश ब्राण्ड)** 500 एमएल के 4 मूल गत्ता पैक डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1430** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1430** नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **विक्रेता शंकर चुघ पुत्र श्री जगदीश राय चुघ** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर धागे से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक एफएसएसए / 2022 / 323–24 दिनांक 15.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ जो कि खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर की जांच रिपोर्ट द्वारा **Unsafe Food** होना पाया गया है। अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के क्रमांक एफएसएसए / 2022 / 341–42 दिनांक 15.04.2022 के द्वारा विक्रेता का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया था जिसमें रिपोर्ट प्राप्ति के 30 दिवस में अपील हेतु समय दिया गया था व विक्रेता द्वारा उक्त अवधि में पुन: जांच हेतु आवेदन किया गया व नमूना जांच हेतु रेफरल लैब पुणे भिजवाया गया जिससे प्राप्त लैब रिपोर्ट नं–**RFL / P / DO/341/22/418** जांच 02.06.2022 से 16.06.2022 द्वारा **Sub-Standard Food** पाया गया है जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है।

यह कि श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राज जयपुर के पत्रांक आयुक्त / खा.सु.औ.नि. / स.सी. / 2023 3096 दिनांक 02.08.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज गोदारा को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया गया।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमाक FSSA/2022/510-11 दिनांक 04.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थय प्रयोगशाला बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 618 / एक्ट / 2022 / 618 दिनाक 28.04.2022** के अनुसार खाद्य पदार्थ **घी (पंजाब फॅश ब्राण्ड)** का नमूना **मिस ब्रांडेड फूड** होना पाया गया।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 14.08.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। तत्पश्चात अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमाक 1258–59 दिनांक 18.08.2023 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अप्रार्थीगण द्वारा **घी (पंजाब फॅश ब्राण्ड)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवदन है कि उक्त प्रकरण मे विक्रेता / मालिक को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जावे ताकि जनहित मे अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय रोका जा सके।

राजस्व(ग्रुप–1) की अधिसूचना क्रमाक / प.7(27) राज / 2 / 2023 –06221 दिनाक 24.01.2025 के द्वारा अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर मे स्वीकृत ए.डी.एम. के पद को यथावत रखने के कारण ए.डी.एम कार्यालय का सृजन किया गया है। उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पुनः नये नं. पर दर्ज रजिस्टर की गई।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक बलाना एवं अप्रार्थी स.–3 से अधिवक्ता श्री सुशील गोदारा उपस्थित आये। अप्रार्थी स.–03 द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब मे कथन किया गया है कि मद स.–01 रिकॉर्ड का तथ्य है जो कि कानूनी विषय है जिसे साक्ष्य द्वारा परिवादी की ओर से साबित किया जाना है। मद स.–02 मे दर्ज तथ्य परिवादी की ओर से साबित किया जाना आवश्यक है उपरोक्त सैम्पल की कथित कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है जो नियमानुसार सही नहीं की गई है तथा सैम्पल लेने की फर्द मे किसी भी स्वतंत्र साक्षी को मौका पर नही बुलाया गया। इस मद को साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। मद स.–3 परिवादी द्वारा मौका पर सैम्पल नही लिया गया तथा ना ही मौका पर किसी भी गवाहान के समक्ष किसी प्रकार का कैशमीमो बनाया गया है बल्कि अप्रार्थी से जबरदस्ती खाली रसीदात पर हस्ताक्षर करवाए गये थे उक्त मद मे अंकित तथ्यों को साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। मद स.–4 जिस प्रकार से अंकित की गई है अस्वीकार है। फार्म स.–5 मौका पर तैयार नही किया जाता गया है तथा ना ही फार्म स. –5 ए मौका पर मुझ अप्रार्थी व गवाहान को पढ कर सुनाया गया है। ना ही इस कार्यवाही के संबध मे मौका पर किसी स्वतंत्र साक्षी को नही बुलाया गया है। मद सं.–5 अस्वीकार है। परिवादी द्वारा मौका पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई है। इस मद मे अंकित तथ्यों को साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। मद सं.–6 जिस प्रकार से अंकित की गई है अस्वीकार है। मौका पर कोई फर्द तैयार नही की गई तथा ना ही किसी तरह का कोई फर्द पढ कर मौका पर सुनाई गई। मद सं.–7 अस्वीकार है सैम्पल लिए जाने से लेकर जाच तक भिजवाये जाने की समस्त कार्यवाही स्वच्छ पारदर्शी व बिना छेडछाड की गई हो यह समस्त तथ्य साक्ष्य से साबित करने का भार परिवादी पर है। मद सं.–8 अस्वीकार है। मद सं.–9 लाईल्मी अस्वीकार है

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

मद सं.—10 अस्वीकार है। अपने ही विभाग द्वारा अपने अधिकारियों से मिलीभगत गलत तथ्यों पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त गई है इस कारण यह मद अस्वीकार है। ऐसी स्थिति में परिवाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है। कानूनी विषयान्तर्गत होने के कारण परिवादी द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर साबित की जानी आवश्यक है। मद सं.—11 अपने ही विभाग द्वारा अपने अधिकारियों से मिलीभगत कर गलत तथ्यों पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई है इस कारण यह मद अस्वीकार है। मद सं.—12 में अप्रार्थीगण का नाम पता स्वीकार है। परिवाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस परिवाद सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **घी (पंजाब फ्रेश ब्राण्ड)** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.393/Act/2022/393** दिनांक 23.**03.2022** में खाद्य पदार्थ **घी (पंजाब फ्रेश ब्राण्ड)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमूना **के—1430 Unsafe Food** पाया गया है तथा पुनः रैफरल लैब से जांच करवाने पर **Sub-Standard Food** पाया गया है

अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 द्वारा **Sub-Standard Food** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 द्वारा **Sub-Standard Food** खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है। अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 द्वारा **Sub-Standard Food** खाद्य पदार्थ का विक्रय कर, थोक विक्रेता एवं रिटेलर के माध्यम से उपभोक्ता तक उपलब्ध करवाया गया है। उपभोक्ता को **Sub-Standard Food** खाद्य पदार्थ मिला है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि निर्माता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 द्वारा **Sub-Standard Food** खाद्य पदार्थ का विक्रय कर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी सं. 01 एवं 02 द्वारा **Sub-Standard Food** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व आगे विक्रय किये जाने हेतु **मैसर्स भोला पंसारी तहसील बाजारी अनूपगढ एवं मैसर्स—बाबा ट्रेडर्स मैन मार्केट अनूपगढ़ प्रोप व थोक विक्रेता** को **रूपये 5000—5000/—(पांच—पांच हजार रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अप्रार्थी सं.—02 द्वारा बिल पेश किया गया कि उक्त उत्पाद अप्रार्थी संख्या—03 से खरीदा गया है। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य पदार्थ **घी (पंजाब फ्रेश ब्राण्ड)** के **मैसर्स—परमानन्द मनीष कुमार नई धान मंडी नजदीक पीएनबी बैंक सादुलशहर प्रोप व थोक विक्रेता** से खरीदा है। अप्रार्थी सं. 03 द्वारा **Sub-Standard Food** खाद्य पदार्थ का भंडारण एवं विक्रय किये जाने हेतु **मैसर्स—परमानन्द मनीष कुमार नई धान मंडी नजदीक पीएनबी बैंक सादुलशहर प्रोप व थोक विक्रेता को 5,000/—रूपये (पांच हजार रूपये) आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।**

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक—18.07.2025 को सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ